ग्राम पंचायत बड़ाग्रां, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023

भाग–एक

1. **प्रस्तावना (क):–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप–सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि0 प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत बड़ाग्रां, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगडा के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों का अंकेक्षण हि0 प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत बड़ाग्रां में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :–

प्रधान :–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमति चन्द्रमणी देवी	01.04.2021 से 31.03.2023

सचिव :–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री सुरेन्द्र कुमार	01.04.2021 से 31.03.2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

ग्राम पंचायत बड़ाग्रां के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

क्र0सं0	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही एवं बैंक खाते के अन्तशेष में अन्तर पाया जाना ।	0.36
2	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना ।	28.41
3	7	पंचायत राजस्व का वसूली हेतू शेष पाया जाना ।	0.28
4	8	प्राप्त आय का अनुचित लेखांकन एवं नियमाविरूद्ध अनियमित व्यय	0.35
5	9	रॉयल्टी की वसूली न करने के फलस्वरूप अनियमित/अधिक भुगतान करना।	0.27
6	10	औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना।	2.91
7	11	टी0डी0एस0 की कटौती न करना ।	0.05
8	12	प्राप्त अनुदान राशि से अधिक व्यय करना	4.17
9	13	प्रियासॉफ्ट तथा मैनुअल संधारित लेखों के आंकड़ों में भारी अन्तर पाया जाना	4.10

(ग) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सत्यापना की गई, जिन पैरों पर की गई कार्यवाही संतोषजनक पाई गई, उनका अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया। वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त अनिर्णीत पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :–

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016

क्र0सं0	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत ।
1	3	निर्णीत । अंकेक्षण शुल्क ₹7000/–प्राप्ति की पुष्टि उपरान्त
2	4 व 4.1	निर्णीत, वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित ।
3	4.2	निर्णीत, वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित ।
4	4.3	निर्णीत, वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित ।
5	5	निर्णीत, वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित ।
6	5.2	निर्णीत, वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित ।
7	6	निर्णीत, वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित ।
8	7	निर्णीत । कार्यवाही देख ली गई है ।
9	8	निर्णीत, वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित ।
10	9	निर्णीत । (8 बैग सीमेंट ₹2176/– की वसूली रसीद संख्या 0228746 दिनांक 15.11.2023 द्वारा करके खाता संख्या 2458000100049573 में दिनांक 15.11.23 को जमा करवा दी गई है। जिसकी प्रविष्टि रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 73 पर दर्ज कर दी गई है। अतः पुष्टि उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया है)
11	10	निर्णीत, वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित ।
12	11	निर्णीत, वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित ।

(2)अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.2014 से 31.03.2017

क्र0सं0	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत ।
1	3	निर्णीत । (अंकेक्षण शुल्क ₹7200 की राशि बैंक ड्राफ्ट संख्या 537518 दिनांक 15.03.18 द्वारा निदेशक, राज्य लेखा परीक्षा विभाग को प्रेषित कर दी गई है । अतः पुष्टि उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया है)

2	4	निर्णीत, वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित ।
3	5	अनिर्णीत ।
4	6.1	अनिर्णीत ।
5	6.2	अनिर्णीत ।
6	6.3	अनिर्णीत ।
7	7	निर्णीत, वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित ।
8	8	अनिर्णीत ।
9	9	निर्णीत, वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित ।
10	10	अनिर्णीत ।
11	11	अनिर्णीत ।
12	12	अनिर्णीत ।
13	13.1	अनिर्णीत ।
14	13.2	अनिर्णीत ।
15	13.3	अनिर्णीत ।

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत बड़ाग्रां, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कॉंगड़ा अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री मन मोहन शर्मा, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 14.11.2023 से 18.11.2023 व 28.11.2023 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखों की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया :–

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2021–22	08/2021	07/2021
2022–23	03/2023	02/2023

अस्वीकरणः– वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा ।

3. **अंकेक्षण शुल्क :–**

ग्राम पंचायत बड़ाग्रां, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कॉंगड़ा के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4800/– बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क को रेखांकित बैंक ड्रॉफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 523 दिनांक 28.11.2023 द्वारा अनुरोध किया गया ।

4. **वित्तीय स्थिति :–**

ग्राम पंचायत बड़ाग्रां, विकास खण्ड बैजनाथ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

(1) स्वः स्त्रोत :– ग्राम पंचायत बड़ाग्रां के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	ब्याज (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2021–22	599673.00	54100.00	17580.00	671353.00	32548.00	638805.00
2022–23	638805.00	25373.00	16705.00	680883.00	93377.44	587505.56

(2) **अनुदान** : ग्राम पंचायत बड़ाग्रां के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया है :–

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	ब्याज (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2021—22	1645593.18	4838351.00	72593.00	6556537.18	4635010.00	1921527.18
2022—23	1921527.18	5500575.20	81747.00	7503849.38	4662609.38	2841240.00

बैंक समाधान विवरणी :—

Own Source, Relief, 5TH SFC,VKVNY, 14thFC, 15th FC, SDRF,SDP,MPLAD

A/c No. 2458000100073093	PNB Multhan	14th FC	0
A/c No. 2458000100081551	PNB Multhan	15th FC	2579800
A/c No. 2458000100049573	PNB Multhan		227615.2
A/c No.20016005275	KCCB Baijnath		317069
A/C No. 100167499867	INDUSIND Bank Dharamshala		340705
cash in hand			
		Total	**3465189**

Cash Book Balance on 31.03.2023 (Own Source)	587505.6
Cash Book Balance on 31.03.2023	-316701
Cash Book Balance on 31.03.2023	157273
Cash Book Balance on 31.03.2023	2579800
Cash Book Balance on 31.03.2023	-14235
Cash Book Balance on 31.03.2023	40
Cash Book Balance on 31.03.2023	-85642
Cash Book Balance on 31.03.2023	180000
Cash Book Balance on 31.03.2023	340705
Total	**₹3428746**
diffrence	**-36443.7**

4.1 रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में ₹0.36 का अन्तर पाया जाना :—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा रोकड बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। दिनांक 31.03.2023 को स्वः–स्त्रोत तथा अन्य स्कीमों की रोकड़ बही एवं बैंक पास बुक के अन्तिम शेष का अन्तर ₹36,443.68 पाया गया, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 524 दिनांक 28.11.2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्याः 04/2023 दिनांक 06.12.2023 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों का मिलान करके आगामी अंकेक्षण में दर्शा दिया जायेगा।

अतः नियमानुसार रोकड बही के शेष व बैंक शेष राशि का मिलान करना सुनिश्चित करें व वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

4.2 पंचायत के लेखें खातों का रख रखाव नियमानुसार न करना :–

1. हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(2) के अनुसार लेखों का रख–रखाव खाता "क" व "ख" के रूप में किया जाना अपेक्षित है ।

2. निदेशक, पंचायती राज के पत्र संख्या PCH-HC(10)/2016-5072-95 दिनांक 24.01.2018 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार आय–व्यय का लेखांकन PRIYA SOFTWARE में किया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में लेखों का रख रखाव उक्त नियम एवं निदेशों के अनुसार नहीं किया गया था, जिसका औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 526 दिनांक 28.11.2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 04/2023 दिनांक 06.12.2023 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि खाता "क" व "ख" का संधारण कर लिया जायेगा व प्रिया सॉफ्ट में कार्य कर रहे हैं जोकि पूर्ण कर लिया जायेगा ।

अतः नियम प्रावधानों एवं निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये ये महत्वपूर्ण अभिलेख पूर्ण करके अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

5. **निवेश:–**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 11 के प्रावधानों अनुसार पंचायत अतिरिक्त निधियों (सभा निधि) को पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में बचत खातों की अपेक्षाकृत ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु निवेशित किया जाना अपेक्षित है।

जबकि पैरा 4(1) में उल्लेखित वित्तीय स्थिति से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को बचत खातों की अपेक्षा अधिक ब्याज अर्जित करने हेतु निवेशित नहीं किया गया था, जो न केवल उक्त नियम प्रावधानों की अवहेलना है, अपितु सीमित वित्तीय स्त्रोतों के प्रबन्धन की कमी को भी दर्शाता है क्योंकि अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत की सभा निधि में ₹599673 से ₹ 5,87,505/– तक की राशि शेष थी।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 527 दिनांक 28.11.2023 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 04/2023 दिनांक 06.12.2023 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि सभा निधि के खाते की छानबीन करने के उपरान्त अतिरिक्त राशि को सावधि में जमा करवा दिया जायेगा ।

अतः परामर्श दिया जाता है कि प्रस्ताव पारित करके बचत खातों की अपेक्षाकृत ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु सावधि में निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा निवेश किये जाने की स्थिति में हि०प्र० पंचायती राज (वित्त) नियम, 2002 के नियम 12(1) के प्रारूप–1 में अपेक्षित निवेश रजिस्टर का रख रखाव भी किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

6. **अनुदान राशि ₹28.41 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :–**

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशि को फडिंग एजैन्सी की आवश्यकताओं और दिशा निर्देशों के अनुसार खर्च किया जाना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना (**परिशिष्ट–1**) के अनुसार दिनांक 31.03.2023 तक अनुदान ₹28,41,240/– की राशि उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा।

अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौत्तरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

7. पंचायत राजस्व ₹0.28 लाख का वसूली हेतू शेष पाया जानाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख पूर्ण रूप से तैयार नहीं किये गये थे जिस कारणवश सम्पत्ति कर से प्राप्त राशि, माँग की गई राशि एवं दिनांक 31.03.2023 को बकाया राशि की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी । पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना (**परिशिष्ट–3**) एवं प्रस्तुत अभिलेखानुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹50/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से गृहकर आरोपित किया गया था । दिनांक 31.03.2023 को निम्न विवरणानुसार पंचायत का कुल राजस्व ₹28,095/– (सम्पति कर ₹22695/–, मोबाईल टॉवर शुल्क ₹5000/– व विवाह पंजीकरण शुल्क ₹400/–) वसूली हेतु शेष थाः–

1. सम्पति कर :–

वर्ष	अथशेष (₹)	गृहकर की माँग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2021–22	24345	15650	39995	20075	19920
2022–23	19920	16450	36370	13675	22695

उपरोक्त तालिका, तथ्यों एवं आंकडों से स्पष्ट है कि अंकेक्षण अवधि के दौरान सम्पत्ति कर/गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 525 दिनांक 28.11.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 04/2023 दिनांक 06.12.2023 द्वारा अकेक्षण को सूचित किया गया कि सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख लगभग पूर्ण कर लिया गया है तथा जो बकाया राशि ₹22695/– है वह शीघ्र ही वसूल कर ली जायेगी ।

अतः वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें ।

7.2 मोबाईल टॉवर शुल्क के रूप में ₹0.05 लाख की वसूली न करने बारे :–

प्रधान सचिव सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा जारी अधिसूचना संख्या DIT.Dev(IT)2005(Misc.)96 दिनांक 21.06.2017 अनुसार ग्राम पंचायत को स्थापना शुल्क व नवीनीकरण शुल्क प्राप्त करने का अधिकार है। जाँच में पाया कि पंचायत द्वारा पंचायत क्षेत्र में स्थापित मोबाईल टॉवर से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख तैयार नहीं किये गये थे जिस कारणवश मोबाईल टॉवर से प्राप्त राशि, माँग की गई राशि एवं दिनांक 31.03.2022 को बकाया राशि की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी । अतः नियमों के अनुसार उक्त अभिलेख तैयार न करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 533 दिनांक 28.11.2023 द्वारा पंचायत सचिव से आग्रह किया गया जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 04/2023 दिनांक 06.12.2023 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि मई 2022 से मोबाईल टॉवर की फीस सरकार द्वारा बन्द की दी गई है व इससे पूर्व की वसूली बारे सम्बन्धित विभाग को लिख दिया जायेगा व वसूली कर ली जायेगी ।

पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2022 को मोबाईल टॉवर शुल्क की बकाया वसूली योग्य राशि का विवरण निम्नलिखित है:–

वर्ष	अथशेष	मोबाईल टावर की माँग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतू शेष राशि
2021–22	0	5000	5000	0	5000

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार व वस्तुस्थिति अनुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाते हुये नियमानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

7.3 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹400/– की वसूली न करने बारे :–

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marriage 8017-8110 दिनांक 28.10.16 के अन्तर्गत विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण हेतु विवाह पंजीकरण फीस ₹200/– (बी0पी0एल0 परिवार ₹25/–)एवं 30 दिन के उपरान्त व 90 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण फीस ₹400/–(बी0पी0एल0 परिवार ₹50/–) प्रति विवाह की दर से वसूल की जानी अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि वर्ष 2022–23 में निम्न विवरणानुसार ₹800/– विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूल नहीं किये गये थे:–

क्र0 सं0	विवाह पंजीकरण संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	वसूली योग्य राशि (₹)	वास्तविक वसूली गई राशि (₹)	कम वसूल की गई राशि (₹)
1	09	राज कुमारी पुत्री श्री लक्ष्मण दास	20.10.21	25.10.21	200	0	200
2	10	सोनिया ठाकुर पुत्री श्री लक्ष्मण दास	21.10.21	25.10.21	200	0	200
							400

उक्त विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 530 दिनांक 28.11.2023 द्वारा पंचायत सचिव से आग्रह किया गया जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 04/2023 दिनांक 06.12.2023 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि कम वसूल की गई राशि प्राप्त कर ली जायेगी व आगामी अंकेक्षण में दर्शा दी जायेगी ।

अतः कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जायें ।

7.4 भू–राजस्व की वसूली न करना :–

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय के सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 में भू–राजस्व की वसूली नहीं की गई थी एवं न ही इसकी वसूली हेतु उचित प्रयास किये गये थे। अतः भू–राजस्व की वसूली न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये इसकी वसूली प्रतिवर्ष करना सुनिश्चित करें ।

8 प्राप्त आय ₹0.35 लाख का अनुचित लेखांकन एवं अनियमित व्ययः–

अंकेक्षण के दौरान पाया कि निम्न विवरणानुसार विवाह पंजीकरण व गृहकर के शुल्क के रूप में ₹35,375/– की राशि वसूल की गई परन्तु इस राशि को बैंक राजकीय कोष में जमा नहीं करवाया गया जोकि हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(1 से 3) की उल्लघंना के कारण अनियमित है, जिसका औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 532 दिनांक 28.11.2023 द्वारा पंचायत सचिव से आग्रह किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 04/2023 दिनांक 06.12.2023 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि वसूल की गई राशि को स्टेशनरी व अन्य कार्यालय व्यय हेतु खर्च कर दिया गया है भविष्य में इस बारे ध्यान रखा जायेगा। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि वसूल की गई राशि को वसूली के दिन या अगले दिन बैंक राजकीय कोष में जमा करवाना अपेक्षित है।

अतः आय/वसूल की गई राशि को शीघ्र बैंक राजकीय कोष में जमा करवाने उपरान्त नियमानुसार व्यय हेतु अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाना सुनिश्चित करें।

क्र0सं0	नाम	रसीद सं0 व दिनांक	वसूल की गई राशि	बैंक में जमा राशि (₹)	बैंक में जमा करवाने योग्य राशि(₹)
1	रोजिला ठाकुर	0228275, 17.06.21	25	0	25
2	पूजा देवी	0228279, 05.07.21	200	0	200
3	प्रीति	0228279, 05.07.21	200	0	200
4	शवनम ठाकुर	0228279, 05.07.21	25	0	25
5	रजनी देवी	0228281, 22.07.21	200	0	200

6	कोमल कटवाल	0228282, 20.07.21	200	0	200
7	रामकली	0228283, 28.07.21	25	0	25
8	मन्जू ठाकुर	0228286, 13.08.21	200	0	200
9	तमन्ना देवी	0228300, 25.10.21	25	0	25
10	मायावती ठाकुर	0228351, 05.11.21	200	0	200
11	शिवानी ठाकुर	0228353, 22.11.21	25	0	25
12	किरणा कुमारी	0228501, 24.06.22	200	0	200
13	प्रिया रानी	0228518, 14.07.22	200	0	200
14	इन्दू ठाकुर	0228517, 09.11.22	200	0	200
15	सोनिया ठाकुर	0228525, 05.01.23	200	0	200
16	मोना ठाकुर	0228532, 06.02.23	200	0	200
				कुलः	₹2325.00

गृहकर :–

क्र0सं0	रसीद सं0	रोकड बही पृष्ठ संख्या	वसूल की गई राशि(₹)	बैंक में जमा राशि (₹)	बैंक में जमा करवाने योग्य राशि(₹)
1	0228301 से 0228350 0228352 व 228354 से 228400	3	9290	0	9290
2	228401 से 228488	3	10185	0	10185
3	228496 से 228500	17	950	0	950
4	228511 से 228514	30	200	0	200
5	228537 से 228600	55	5900	0	5900
6	228601 से 228700	55	6425	0	6425
7	228701	56	100	0	100
				कुल	₹33050.00

9. आपूर्तिकर्ता के बिलों से राशि ₹0.27 लाख की रॉयल्टी की कटौती न करना :–

हि0 प्र0 माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माईनिंग लीज़ होल्डर

द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रॉजिट पास (फार्म–डब्ल्यू) या सप्लिमैंटरी पास (फार्म–एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 % पैनल्टी सहित करना होगा ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा आपूर्तिकताओं से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रॉजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को निम्न विवरणानुसार ₹27,201/– का अनियमित भुगतान किया गया। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 528 दिनांक 28.11.2023 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 04/2023 दिनांक 06.12.2023 सूचित किया गया कि वर्ष 2022–23 में फार्म एक्स प्राप्त किये जा रहे हैं व 2021–22 की रॉयल्टी की वसूली सम्बन्धित सप्लायर से कर ली जायेगी । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार ट्रॉजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25% पैनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था।

अतः ₹27,201/– के अनियमित भुगतान को या तो समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा वसूली उचित स्त्रोत से करके हि0 प्र0 सरकार के आय लेखा शीर्षक: "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fee and Royalities, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये :–

बिल का विवरण	मद नाम	मात्रा (cft)	मात्रा (cum)	निर्धारित फैक्टर	मात्रा मिट्रिक टन	रॉयल्टी (प्रति मि0 टन)	राशि
प्रस्तुत परिशिष्ट अनुसार वर्ष 2021–22	रेत	817	23.13	1.62	37.47	60	2248.00
	बजरी	875	24.78	1.52	37.66	60	2260.00
	सेलिंग	4520	128.00	2.24	286.72	60	17203.00
	ईंटे	1000					50.00
						कुल :	₹21761.00
					पैनल्टी 25 %		5440.00
					कुल योगः		27201.00

10. औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ₹2.91 लाख स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमन्त्रित करना) प्रावधित हैं ।

व्यय वाउचरों की जाँच में पाया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹2,90,609/– के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया था एवं समुचित आपूर्ति आदेश के अभाव में प्राप्त सामग्री की माँग अनुरूप होने की और बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं हो सकी, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 529 दिनांक 28.11.2023 द्वारा तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करने बारे अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 04/2023 दिनांक 06.12.2023 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि किये गये क्रय की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर ली जायेगी ।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार कृत व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से लेकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें एवं भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही क्रय करना सुनिश्चित किया जाये।

वाउचर संख्या व दिनांक	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि	कार्य का नाम
19, 26.07.21	बिल नं0 058 दि0 26.07.21, मै0 इन्द्रजीत	कैरिज चार्जिज	47600.00	नि0 झूला स्पैन कगयोग से नागा रा डेरू SDP
23, 26.07.21	बिल नं0 003 दि0 25.07.21 मै0 जगजीवन वैल्डिंग वर्क्स	ग्रिल	6000.00	नि0 कमरे जीपीएस बड़ाग्रां SDP
25, 26.07.21	बिल नं0 055 दि0 26.7.21, मै0 इन्द्रजीत	कैरिज चार्जिज	39000.00	नि0 लिंक रोड 14th FC

26, 26.07.21	बिल नं0 057 दि0 26.7.21, मै0 इन्द्रजीत	कैरिज चार्जिज	10400.00	नि0 खेल मैदान नजदीक नलहौता 14th FC
30, 02.08.21	बिल नं0 004 दि0 01.08.21 मै0 जगजीवन बैल्डिंग वर्क्स	बैल्डिंग कार्य	10089.00	नि0 खेल मैदान जीपीएस नलहौता 14th FC
53, 13.09.21	बिल नं0 027 दि0 03.08.21 मै0 एस0 आर0 टिम्बर	खिड़कियां फ्रेम	98055.00	नि0 कमरे जीपीएस नलहौता SDP
14, 30.05.22	बिल नं0 007 दि0 28.05.22 रणजीत सिंह	पंचायत घर रंग रोगन	25000.00	कार्यालय व्यय 14th FC
23, 24.06.22	बिल नं0 7425 दि0 17.04.22 बिल नं0 7441 दि0 21.04.22 सूरत एण्टरप्राईजिज	सैनिटरी फिटिंग	54465.00	कार्यालय व्यय 14th FC
			290609.00	

11. आपूर्तिकर्ता के बिलों से आयकर की धारा 194 C के अनुसार की TDS की कटौती न करने बारेः–

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 C के अनुसार यदि कार्य को करने पर किसी ठेकेदार को एक वित्तीय वर्ष में ₹100000/– या अधिक की अदायगी अथवा एक बार में ₹30000/– से अधिक की अदायगी की जाती है तो आहरण व संवितरण अधिकारी ठेकेदार के बिल से आय स्त्रोत पर व्यक्ति की दशा में 1 प्रतिशत व फर्म की दशा में 2 प्रतिशत आयकर की कटौती करेगा तथा की गई कटौती को सरकारी खाते में समयबद्ध तिथि को जमा करवायेगा।

अंकेक्षण में पाया गया कि वाउचर संख्या 15 दिनांक 13.07.22 के तहत ₹300000/– व वाउचर संख्या 54 दिनांक 13.09.2021 के तहत ₹177001/– की राशि का भुगतान जे0सी0बी0 कार्य हेतु किया गया था । 1 प्रतिशत की दर से ₹4770.00 बिल से आय पर स्त्रोत कर को नहीं काटने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 531 दिनांक 28.11.2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 04/2023 दिनांक 06.12.2023 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि

सम्बन्धित सप्लायरकर्ता से टीडीएस वसूल करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जायें ।

12. प्राप्त अनुदान राशि से ₹4.17 लाख का अधिक व्यय करने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान पाया कि निम्न विवरणानुसार वर्ष 2022-23 में विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत विकास कार्यों हेतु प्राप्त अनुदान राशि से ₹4,16,578/- अधिक राशि खर्च की गई थी जोकि अनियमित है।

शीर्ष का नाम	अथशेष	प्राप्त अनुदान राशि (₹)	खर्च की गई राशि (₹)	अधिक खर्च की गई राशि (₹)
BASP	-340364	1390032	1366369	316701
SDRF	-18566	390500	386169	14235
SDP	-203632	309000	191010	85642

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 534 दिनांक 28.11.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 04/2023 दिनांक 06.12.2023 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि यह व्यय सभा निधि से किया गया है जब अनुदान राशि प्राप्त होगी तब सभा निधि में समायोजन कर दिया जायेगा ।

अतः तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

13 प्रिया सॉफ्ट तथा मैनुअल संधारित लेखों में ₹4.10 लाख की राशि के अन्तर बारे:-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में मिशन प्रोजैक्ट प्रारम्भ की गई तथा जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि०प्र० कर रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन के साथ-साथ हि०प्र० पंचायती राज नियम (सामान्य) 1997 के

नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज रहित प्रणाली के अन्तर्गत ई–पंचायत में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण मैनुअल व प्रिया सॉफ्टवेयर दोनों माध्यमों से किया जा रहा है तथा जो खाते प्रिया सॉफ्टवेयर में बनाये जा रहे है उनका मैनुअल रोकड़ बही व बैंक खातों से मिलान न होने के कारण ₹4,10,385.24 की राशि का निम्नविवरणानुसार अन्तर पाया गयाः–

31.03.2023 को प्रिया सॉफ्टवेयर में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	₹	38,39,131.24
31.03.2023 को मैनुअल में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	₹	34,28,746.00
अन्तर	₹	4,10,385.24

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 535 दिनांक 28.112023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 04/2023 दिनांक 06.12.2023 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि प्रियासॉफ्ट वेबसाईट वाधित होने के कारण अन्तर है उक्त अन्तर को ठीक कर दिया जायेगा ।

अतः प्रिया सॉफ्ट तथा मैनुअल संधारित लेखों के अन्तर के कारणों की वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये तदानुसार कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये ।

14. विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31, 72 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये :–

क्रम सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर	4	13(5)
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997	7	34
4	अनुदान रजिस्टर	8	34
5	प्रकीर्ण मॉग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77(4)
6	बजट प्राकल्लन	11, 12	37, 38
7	बिल रजिस्टर	13	48
8	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1)(ग)
9	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर		101(2) (V)
10	वर्गीकृत सार	8	29 (4)

15. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये ।

16 **लघु आपित्त विवरणिका :–** इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी–छोटी आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया ।

17 **निष्कर्ष** :–लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

06 JAN 2024

259 - 263 का०/प्रति

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल०ए०)एच(पंच)(xv)(2)41/2016–खण्ड–5 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय लोक लेखा समिति हि०प्र० विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि०प्र०।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा (हि०प्र०)।

पंजीकृत 5. सचिव, ग्राम पंचायत बड़ाग्रां, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

06 JAN 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का०/प्रति

परिशिष्ट - 1
(अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 4 के सन्दर्भ में)

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Baragran" for the year ended 2021-22

Sr.no	Particulars	Op.Balance	Receipt	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
1	BASP	-450841	1706053	0	1255212	1595578	-340364
2	5 SFC	150611	186520	0	337131	164440	172691
3	VKVNY	0	0	0	0	0	0
4	14TH FC	1198017.18	11550	30177	1239744.18	827144	412600.2
5	15TH FC	651462	1197820	42416	1891698	0	1891698
6	SBM	0	0	0	0	0	0
7	SDRF	152769	180215	0	332984	351550	-18566
8	ZP	-11356	81388	0	70032	62932	7100
9	SDP	-45069	703962	0	658893	862525	-203632
10	VMJS	0	0	0	0	0	0
11	MPLAD	0	0	0	0	0	0
12	RGSA	0	0		0	0	0
13	MNREGA	0	770843	0	770843	770843	0
	Total Rs.	1645593.18	4838351	72593	6556537.18	4635010	1921527

Financial Position of Grant in aid in r/o Grum Panchayat "Baragran" for the year ended 2022-23

Sr.no	Particulars	Op.Balance	Receipt	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
1	BASP	-340364	1390032	0	1049668	1366369	-316701
2	5 SFC	172691	252972	0	425663	268390	157273
3	VKVNY	0	0	0	0	0	0
4	14TH FC	412600.18	140727	4814	558141.18	558141.18	0
5	15TH FC	1891698	1282048	60315	3234061	654261	2579800
6	SBM	0	0	0	0	0	0
7	SDRF	-18566	390500	0	371934	386169	-14235
8	ZP	7100	0	0	7100	7060	40
9	SDP	-203632	309000	0	105368	191010	-85642
10	VMJS	0	0	0	0	0	0
11	MPLAD	0	180000	0	180000	0	180000
12	RGSA	0	500000	16618	516618	175913	340705
13	MNREGA	0	1055296.2	0	1055296.2	1055296.2	0
	Total Rs.	1921527.18	5500575.2	81747	7503849.38	4662609.38	2841240

Balance as per Bank on 31.03.22

1 Own Source, Relief,5TH SFC,VKVNY, 14thFC, ,15th FC, SDRF,SDP,/WMP,MPLAD,

A/c No. 2458000100073093	PNB Multhan	14th FC	0
A/c No. 2458000100081551	PNB Multhan	15th FC	2579800
A/c No. 2458000100049573	PNB Multhan		227615.2
A/c No.20016005275	KCCB Baijnath		317069
A/C No. 100167499867	INDUSIND Bank Dharamshala		340705
cash in hand			
	Total		3465189

Cash Book Balance on 31.03.2023 (Own Source)	587505.6
Cash Book Balance on 31.03.2023	-316701
Cash Book Balance on 31.03.2023	157273
Cash Book Balance on 31.03.2023	0
Cash Book Balance on 31.03.2023	0
Cash Book Balance on 31.03.2023	2579800
Cash Book Balance on 31.03.2023	0
Cash Book Balance on 31.03.2023	-14235
Cash Book Balance on 31.03.2023	40
Cash Book Balance on 31.03.2023	-85642
Cash Book Balance on 31.03.2023	180000
Cash Book Balance on 31.03.2023	340705
Cash Book Balance on 31.03.2023	0
Total	3428746
diffrence	-36443.68

Checked

Secretary
Gram Panchayat Baragran
Dev. Block Baijnath (Kangra) H.P.

Financial Position of Own sources in r/o GP Baragran

Years	Op.Balance	Receipt	Instt.	Total	Expenditure	Closing Balance
2021-22	599673	54100	17580	671353	32548	638805
2022-23	638805	25373	16705	680883	93377.44	587505.56

Secretary
Gram Panchayat Baragran
Dev. Block Baijnath (Kangra) H.P.

परिशिष्ट-2
(अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 9 के सन्दर्भ में)

GRAM PANCHAYAT BARA GRAN DEV BLOCK BAIJNATH

Sr No.	Name of Work	Head	Vendor Name	Voucher No and Date	Bill No and Date	Sand(CFT)	Bazri (CFT)	Boulder (CFT)	Bricks	Amount
				FY 2021-2022						
1	Additional amount two room gps badagran	SDP	Ramlal	14,13/07/2021	385,20/4/2021	277	125			29500
2	Additional amount two room gps Nalohta	SDP	Ramlal	14/1,13/07/2021	397,25/4/2021	50	50			7250
3	C/o Retaining wall / protection wall Near path Gyan chand s/o dhogu ram and bal krishan house	SDRF	Ramlal	14/2,13/07/2021	398,10/7/2021	100	100			14500
4	C/o Path Village Nalhota	BASP	Ramlal	14/3,13/07/2021	399,12/7/2021	90	100			13750
5	Link Road Nalhota Nallah to Dhar	BASP	Ramlal	14/4,13/07/2021	400,12/7/2021	300	500			57500
6	Re Crate work near Palachak	SDRF	Ramlal	18,26/07/2021	389,15/4/2021			240		7200
7	Re Crate work GPS Badagran	SDRF	Ramlal	20,26/07/2021	390,15/4/2021			1075		32250
8	Ambulance Road Nalhota Nallah to Dhar	ZP	Ramlal	21,26/07/2021	391,15/4/2021			870		26100
9	C/o Two Room GPS Badagran	BASP	Ramlal	22,26/07/2021	300,15/4/2020				1000	12500
10	Link Road Bhatti to Dhar	ZP	Ramlal	24,26/07/2021	392,16/4/2021			870		26100
11	C/O Check Dam Nalohta nalah	14th fc	Ramlal	29,26/07/2021	394,17/4/2021			1465		43950
					TOTAL	817	875	4520	1000	270600
				FY 2022-2023						
1	C/O Link Road nalhota nalah to amar singh house	BASP	Ramlal	94,6/2/23	607, 06/02/2023	250	300	0	0	47600
2	C/O Link Road nalhota nalah to amar singh house	BASP	Ramlal	95,6/2/23	637, 6/2/2023	350	200	0	0	48600
3	C/O Link Road nalhota nalah to amar singh house	BASP	Ramlal	96,6/2/23	638,06/02/2023	0	600	0	0	49200
					TOTAL	600	1100	0	0	145400

Secretary
Gram Panchayat Baragran
Dev. Block Baijnath (Kangra) H.P

23

परिशिष्ट – 3 पैरा - 7 से सम्बन्धित

List of outstanding Property tax for the period of 202-21 & 2021-22 in r/o GP Baragran Distt.Kangra,H.P.

Years		Op.Balance	Demand during the year	Total	Collection during the year	Closing Balance
2021-22	313@50	24345	15650	39995	20075	19920
2022-23	329@50	19920	16450	36370	13675	22695

List of outstanding tower Fees for the period of 202-21 & 2021-22 in r/o GP Baragran Distt.Kangra,H.P.

2021-22 JIO Tower	00	5000	5000	00	5000

Secretary
Gram Panchayat Baragran
Dev. Block Baijnath (Kangra) H.P.

(24)